न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 88/2023

1. अमृतलाल पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
2. कमला देवी पत्नी स्व. श्री यज्ञनारायण जाति मीणा निवासी फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
3. प्रेमचन्द पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
4. माणक चन्द पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
5. नाबालिग हरिता पुत्री यज्ञनारायण जरिये माता संरक्षिका कमला देवी पत्नी यज्ञनारायण जाति मीणा निवासी फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
6. नाबालिग हितेन्द्र पुत्र यज्ञनारायण जरिये माता संरक्षिका कमला देवी पत्नी यज्ञनारायण जाति मीणा निवासी फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. एम.ए. राजू डाईरेक्टर ईमानुअल पब्लिक स्कूल अजमेर रोड़ फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 03/07/24

उपस्थितः श्री डी0सी0 सेठी — प्रार्थीगण अभिभाषक
श्री सुण्डाराम जाट — अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री डी0सी0 सेठी के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम फरासिया स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 356/95 रकबा 1.2378 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी दादा किस्म का बदमाश व्यक्ति है और अप्रार्थी प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य में व्यवधान पहुँचाता रहता है, बाधा करता रहता है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि में नींव खोदकर मिट्टी खोदकर निर्माण कार्य पर उतारू है। प्रार्थीगण अनुसूचित जन जाति के कमजोर व्यक्ति है और दिनांक 02.06.2023 को सुबह 9 बजे अपनी उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे तो अप्रार्थी राजू व

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

उसके नौकर चाकर औजार लेकर प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर आये और जबरन कब्जा करना चाहा और जबरन नीवे खोदकर निर्माण करने का प्रयास किया तो प्रार्थीगण ने इनको मना किया तो मौके पर वाद विवाद हुआ और मौके पर गम्भीर स्थिति पैदा हुई और नीवे खोदने व निर्माण कार्य हेतु उतारू हो गए और अप्रार्थी ने मौके पर प्रार्थीगण को नीच, कमीण शब्दो का इस्तेमाल किया और कहा कि तुम नीच, कमीण को इस जमीन पर नहीं रहने दूंगा और मौके पर उपस्थित लोगों ने अप्रार्थी को समझा बुझाकर रवाना किया लेकिन जाते–जाते अप्रार्थी व उसके नौकर चाकर धमकी देकर गए कि आज तो हम जा रहे है और भविष्य में मौका पाकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर नीवे खोदकर निर्माण कार्य करेंगे। इस प्रकार प्रकरण कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी अपने मनसूबे में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी और मुकदमे बाजी बढ़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी ग्राम फरासिया स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 356/95 रकबा 1.2378 हैक्टेयर पर कब्जा नही करे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा नही करे नींवे नही खोदे और निर्माण कार्य नही करे इस आशय की ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी पारित की जावे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री सुण्डाराम जाट द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

3.1 वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा यह गलत कथन अंकित किया है कि अप्रार्थी दादा किस्म का व्यक्ति है, बदमाश है तथा यह कथन भी गलत होने से अस्वीकर है कि अप्रार्थी प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कृषि कार्य में व्यवधान पहुंचाता रहता है, बाधा कारित करता रहता हो। उक्त वर्णित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण की खसरा संख्या 356/95 क्षेत्रफल 1.2378 हैक्टेयर भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोगी नही है। खसरा संख्या 356/95 की भूमि पिछले काफी वर्षो से बंजर बैकार पड़ी है जिसमें काफी सारे बड़े–बड़े बिलायती बबूल के पेड़ उगे हुये है तथा कांटे पडे हुये है। खसरा संख्या 354/94 की भूमि अप्रार्थी स्वयं की है जो कि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

वर्तमान में नगर परिषद किशनगढ़ से संपरिवर्तन हो रखी है। उक्त खसरा संख्या 354/94 पर ईमानुअल पब्लिक स्कूल का भवन बना हुआ है तथा स्कूल का खेल मैदान है। अप्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि पर अप्रार्थी का उक्त स्कूल कई वर्षो से लगातार चल रहा है। अप्रार्थी के मालिकाना. हक, अधिकार, कब्जे एवं उपयोग उपभोग की उक्त भूमि पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के आदेशानुसार आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़ के आदेश क्रमांक/सामान्य/2022/6335 दिनांक 28.11.2022 को अप्रार्थी स्वयं की भूमि खसरा संख्या 354/94 का सीमाज्ञान करने हेतु पटवारी पटवार हल्का सांवतसर, पटवारी नगर परिषद किशनगढ़ व गिरदावर मौके पर सीमाज्ञान करने पहुंचें जहां पर प्रार्थीगण को बुलाकर उनकी मौजूदगी मे सीमाज्ञान किया गया तथा उपस्थित उक्त वर्णित राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीगण के हस्ताक्षर मौके पर ही करवाये गये जिसमें से कुछ प्रार्थीगण ने भी मौके पर ही हस्ताक्षर कर दिये। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी के मालिकाना हक, अधिकार, कब्जे एवं उपयोग उपभोग की उक्त वर्णित भूमि के नाप के बारे में सम्पूर्ण जानकारी है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा मौके पर उक्त वर्णित मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गये है। प्रार्थीगण अप्रार्थी से द्वैषता रखते है। जो कभी स्कूल के बच्चों को डराते–धमकाते रहते है तथा आते–जाते स्कूल के बच्चों को व स्टाफ को देखकर भद्दी–भद्दी गालियां देते रहते है। प्रार्थीगण अप्रार्थी को यह भी धमकी देते है कि तुम्हे कई प्रकार के झूठे मुकदमों में फसंवाकर तुम्हारी स्कूल को बन्द करवाकर इसके ताले लगवाकर ही रहेगें। प्रार्थीगण के उक्त वर्णित जुलमों से पीड़ित होकर अप्रार्थी स्वयं की भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही करवाने के पश्चात् स्कूल के छात्रों की सुरक्षा हेतु तथा स्कूल के छात्रों की आवारा पशु एवं अन्य जानवारों से सुरक्षा हेतु स्कूल के भवन से स्वयं के संपरिवर्तन खसरा संख्या 354/94 की भूमि में से प्रार्थीगण की भूमि की तरफ लगभग 3 तीन फुट स्वयं की संपरिवर्तन भूमि छोडते हुये स्वयं के खसरा संख्या 354/94 की भूमि में चार दीवारी का निर्माण कार्य करवा रहा था। उक्त निर्माण कार्य में व्यवधान डालने की नियत से प्रार्थीगण ने जानबूझकर वास्तविक तथ्य छिपाकर उक्त वाद प्रस्तुत एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि अप्रार्थी शान्त स्वभाव का प्रतिष्ठि व्यक्ति है। इसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.07.2023 को उक्त वर्णित भूमि के संबंध में मौके पर अनावश्यक रूप से वाद विवाद करने पर अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के विरूद्व एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात् उक्त लिखित शिकायत की पालना में पुलिस थाना मदनगंज अजमेर द्वारा अप्रार्थी के खसरा संख्या 354/94

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

का पुलिस थाने मदनगंज के ए.एस.आई तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में मौके पर जाकर एक मौका पर्चा हल्का पटवारी एवं आई.एल.आर. किशनगढ़ द्वारा तैयार किया गया जिसके अन्तर्गत स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि– "खसरा नम्बर 354/94 पर इमान्नुवल पब्लिक स्कूल एवं इमान्नुवल पब्लिक स्कूल का खेल मैदान स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 354/94 के दक्षिणी–पश्चिमी चारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। पश्चिम की तरफ की चार दीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है और दक्षिण भुजा पर नींव भराई का कार्य चालू है। खसरा नम्बर 354/94 का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 13.01.2023 को वादी प्रेमचन्द वगैरह की उपस्थिति मे किया गया था। जिस पर सहमति स्वरूप प्रार्थीगण के हस्ताक्षर अंकित है। वर्तमान में चार दीवारी का निर्माण कार्य खसरा नम्बर 354/94 मे हो रहा है। स्थगन से प्रभावित खसरा नम्बर 356/95 में किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नही हो रहा है।" इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी से लडाई–झगड़ा एवं गाली–गलौच करने के पश्चात् अप्रार्थी प्रार्थीगण के विरूद्व एक लिखित शिकायत पुलिस थाना मदनगंज में दिनांक 15.02.2023 को प्रस्तुत की गयी थी जिसके आधार पर पुलिस थाना मदनगंज द्वारा एक इस्तागासा अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) सी.आर.पी.सी. का प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 16.02.2023 को न्यायालय श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण संख्या 07/2023 अनुवान सरकार जरिये थानाधिकारी मदनगंज बनाम माणिकचन्द मीणा व अन्य है। जिसके अन्तर्गत भी प्रार्थीगण का पाबन्द किया गया है। इसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत जानबूझकर अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थीगण के विरूद्व जमानती वारण्ट जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये है। इस प्रकार उक्त वर्णित समस्त तथ्यों से स्पष्ट प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन निर्माण करने का प्रयास नही किया है बल्कि प्रार्थीगण जानबूझकर आये दिन अप्रार्थी को परेशान करते है। इसके अलावा अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 354/94 नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा संपरिवर्तित की जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों की उपस्थिति में दो बार मौका रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। उक्त दोनो मौका रिर्पोटों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं की संपरिवर्तित भूमि खसरा संख्या 354/94 पर नियमानुसार निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति मे प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्व यह वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद खारिज किये

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थीगण आये दिन अप्रार्थी से बिना किसी कारण लड़ाई–झगड़ा एवं गाली–गलौच आदि करते है। इसके अलावा प्रार्थीगण आये दिन अप्रार्थी को कई प्रकार के झूठे मुकदमों आदि में फंसवाकर जेल भिजवाने की धमकियां देते है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 16.07.2023 को एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान् डी.वाई.एस.पी. मदनगंज किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि मैं पिछले 33 वर्षो से इमानुएल पब्लिक स्कूल चला रहा हूँ। स्कूल परिसर वर्तमान में अजमेर रोड़ मदनगंज किशनगढ़ से संचालित होता है। मैं एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते ठीक से चलने में सक्षम नही हूँ क्योकि मेरा बायां पैर ठीक से चल नही पाता है। जूलाई 2020 मे एक संक्रमण के कारण छोटी अंगुली को काट दिया गया फिर 2 ओर 10 दिसम्बर 2021 को संक्रमण के कारण दाहिने पैर के दौ ऑपरेशन किये गये जिसके परिणाम स्वरूप मेरे लिए ठीक से चलना मुश्किल हो जाता है अगर फर्स थोडा भी असमान हो तो मैं अपना सन्तुलन खो देता हूँ ओर निचे गिर जाता हूँ। इसलिए मैं ऑफिस जाता हूँ ओर कभी भी स्कूल के बरामदे से नीचे नही उतरता हूँ। इस प्रकार उक्त वर्णित समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अप्रार्थी काफी वृद्ध 67 वर्ष का व्यक्ति है। अप्रार्थी की स्वयं की शारीरिक स्थिति काफी अधिक कमजोर है ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी के लडाई–झगडा करने के कथन स्वतः ही झूठे साबित होते है। समस्त तथ्यों से स्पष्ट प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन निर्माण करने का प्रयास नही किया है बल्कि प्रार्थीगण जानबूझकर आये दिन अप्रार्थी को परेशान करते है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही है बल्कि पूर्णतया अप्रार्थी के पक्ष में है। उक्त वर्णित समस्त परिस्थितियों मे प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध यह वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उक्त वर्णित समस्त परिस्थितियों के अनुसार जवाब में संशोधन करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये यह जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अतः जवाबकर्ता द्वारा निवेदन किया कि उक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध विशिष्ट हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने का आदेश प्रदान किये जावें।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कृषि कार्य में व्यवधान पहुँचाता रहता है, बाधा करता रहता है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि में नींव खोदकर मिट्टी खोदकर निर्माण कार्य पर उतारू है। अप्रार्थी राजू व उसके नौकर चाकर औजार लेकर प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर आये और जबरन कब्जा करना चाहा और जबरन नीवे खोदकर निर्माण करने का प्रयास किया तो प्रार्थीगण ने इनको मना किया तो मौके पर वाद विवाद हुआ और मौके पर गम्भीर स्थिति पैदा हुई और नीवे खोदने व निर्माण कार्य हेतु उतारू हो गए और अप्रार्थी ने मौके पर प्रार्थीगण को नीच, कमीण शब्दो का इस्तेमाल किया। अप्रार्थी व उसके नौकर चाकर द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी गई कि भविष्य में मौका पाकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर नीवे खोदकर निर्माण कार्य करेंगे। अप्रार्थी अपने मनसूबे में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी और मुकदमे बाजी बढ़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी ग्राम फरासिया स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 356/95 रकबा 1.2378 हैक्टेयर पर कब्जा नही करे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा नही करे नींवे नही खोदे और निर्माण कार्य नही करे इस आशय की ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी पारित की जावे।

4.2 वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खसरा संख्या 356/95 क्षेत्रफल 1.2378 हैक्टेयर भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोगी नही है। खसरा संख्या 356/95 की भूमि पिछले काफी वर्षो से बंजर बैकार पड़ी है जिसमें काफी सारे बड़े-बड़े बिलायती बबूल के पेड़ उगे हुये है तथा कांटे पडे हुये है। खसरा संख्या 354/94 की भूमि अप्रार्थी स्वयं की है जो कि वर्तमान में नगर परिषद किशनगढ़ से संपरिवर्तन हो रखी है। उक्त खसरा संख्या 354/94 पर ईमानुअल पब्लिक स्कूल का भवन बना हुआ है तथा स्कूल का खेल मैदान है। अप्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि पर अप्रार्थी का उक्त स्कूल कई वर्षो से लगातार चल रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थी से द्वैषता रखते है। जो कभी स्कूल के बच्चों को डराते-धमकाते रहते है तथा आते-जाते स्कूल के बच्चों को व स्टाफ को देखकर भद्दी-भद्दी गालियां देते रहते है। प्रार्थीगण अप्रार्थी को यह भी धमकी देते है कि तुम्हे कई प्रकार के झूठे मुकदमों में फसांवाकर तुम्हारी स्कूल को बन्द करवाकर इसके ताले लगवाकर ही रहेगें। "खसरा नम्बर 354/94 पर इमान्युवल पब्लिक स्कूल एवं इमान्युवल पब्लिक स्कूल का खेल मैदान स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 354/94 के दक्षिणी-पश्चिमी चारदीवारी का

निर्माण कार्य चल रहा है। पश्चिम की तरफ की चार दीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है और दक्षिण भुजा पर नींव भराई का कार्य चालू है। खसरा नम्बर 354/94 का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 13.01.2023 को वादी प्रेमचन्द वगैरह की उपस्थिति मे किया गया था। जिस पर सहमति स्वरूप प्रार्थीगण के हस्ताक्षर अंकित है। वर्तमान में चार दीवारी का निर्माण कार्य खसरा नम्बर 354/94 मे हो रहा है। स्थगन से प्रभावित खसरा नम्बर 356/95 में किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नही हो रहा है।" उक्त वर्णित समस्त परिस्थितियों मे प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध यह वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का वाद एंवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान उठाये गये कथनो/तथ्यों की वास्तविकता के संबंध में एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब में अंकित कथनों के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणागुण परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

वर्तमान परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् प्रस्तुत बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम फरासिया स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 356/95 रकबा 1.2378 हैक्टेयर भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)